न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

न अधिकारी – श्री कपिल कुमार (तहसीलदार) प्रकरण संख्या : 03/2019
अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

1. श्री रमाकान्त पुत्र श्री नाथूराम जाति ब्राहम्ण निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

–: निर्णय :– दिनांक : 11.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खिरोड़ ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम खिरोड़ स्थित भूमि खसरा न. 1335 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी–I की सयुक्त खातेदारी में खातेदार श्री रमाकान्त पुत्र नाथूराम जाति ब्राहम्ण ने सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति के बिना ही 0.0450 है. भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि में स्कूल निर्माण करके कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने पर प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री चन्द्रकान्त शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी वकील की ओर से दिनांक 07.01.2020 को जवाब पेश किया, जिसमें बताया किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कोई नया निर्माण कार्य नही किया है, जो निर्माण कार्य है वो वर्षो पूर्व का किया हुआ है, वर्षो पूर्व उक्त निर्माण ग्राम पंचायत की स्वीकृति से स्व. नाथूराम शर्मा द्वारा टिनशैड व चारा डालने के लिये 6 टिनशैड बनाये गये थे, अप्रार्थी ने केवल इनकी मरम्मत करवाई थी, उक्त भूमि पर स्कूल संस्था संघ विधान के अनुसार संस्था का लक्ष्य लाभ अर्जित करना नही है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकास करते हुये निस्वार्थ भाव से शिक्षा उपलब्ध करवाना संस्था का मुख्य धैय है, कोई व्यक्तिगत लाभ नही है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नोटिफिकेशन जारी कर रूपान्तरण बाबत छूट भी प्रदान की गई है इस प्रकार प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारीज करने योग्य हैं।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः No. F.6(26)Rev.6/2014/33 jaipur, Dated 06-10-2016 के कॉलम सं. 4 में नियम 6 के अनुसार खातेदारी की भूमि में कोई शिक्षण संस्थान के रूप में उपयोग की जा रही हैं तो एक एकड़ तक किसी प्रकार की रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नहीं हैं अर्थात गजट नोटिफिकेशन द्वारा शिक्षण संस्था के लिए एक एकड़ तक की भूमि पर भू–रूपान्तरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई हैं। अतः गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं। अतः पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़

Scanned by CamScanner